


दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमांक:-पी.सी. /ए.सी.क्यू-76/2018/ डी- 32

दिनांक- 16/3/18

श्रीमती वंदना कुमारी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 76 का उत्तर निम्नलिखित है-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास उपलब्ध कुल हॉल की संख्या, सामुदायिक हॉल्स के आवंटन की नीति और दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पिछले दस वर्षों में किराये के रूप में प्राप्त की गई राशि का विवरण क्या है:	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अन्तर्गत 194 सामुदायिक भवन उपलब्ध हैं। इनके आवंटन की नीति निम्न प्रकार है- सामुदायिक हाल का निर्माण सामाजिक कार्य जैसे कि शादी, ब्याह एवम क्रिया इत्यादि के लिए किया जाता है। वर्तमान में इन भवनों की बुकिंग प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर की जाती है। किराये की राशि जगह व क्षेत्र के हिसाब से तय की गई है। अति आवश्यक पब्लिक के कार्य हेतु सामुदायिक भवन का आवंटन सरकारी विभाग को किया जाता है। वर्तमान में गैर सरकारी संस्था को आवंटन करने की कोई नीति नहीं है। पिछले दस वर्षों (2007-08 से 2016-17 तक) में लाइसेंस फी/ बुकिंग चार्ज एवं अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि रु. 2768.93 लाख है।
ख	दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के सामुदायिक हॉल्स के आवंटन की नीति बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण:	सामुदायिक भवन के आवंटन की नीति निर्धारित करने का अधिकार बोर्ड के पास है।



ग	आज की तारीख में कितने सामुदायिक हॉल्स खाली पड़े हैं, बाकि हॉल्स किन शर्तों पर किराये पर किसको दिए गए हैं,	सामुदायिक भवन प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर शादी, ब्याह, सामाजिक कार्य, क्रिया इत्यादि के लिए स्थानीय निवासियों को उपलब्ध कराया जाता हैं। इनकी बुकिंग सम्बंधित क्षेत्रिय अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में की जाती हैं।
घ	पिछले दस बरसों में सामुदायिक हॉल्स की कितनी वसूली की गई और इन वसूलियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण क्या है	पिछले दस वर्षों (2007-08 से 2016-17 तक) में लाइसेंस फी/ बुकिंग चार्ज एवं अन्य प्राप्त के रूप में प्राप्त की गई राशि रु. 2768.93 लाख हैं। सामुदायिक भवन प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर बुक किया जाता है और इसकी वसुली के लिए क्षेत्रिय अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार होता है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।


उप निदेशक (संसद कक्ष)

उप सचिव (स.शा)
दिल्ली सरकार दिल्ली सचिवालय
नई दिल्ली 2